Website : www.highwaychannel.in

छत्तीसगढ़ का सर्वाधिक प्रसारित शाम का अखबार

हाईवे चैनल

वर्ष- 27 ◘ अंक- 281 ◘ रायपुर, मंगलवार 5 नवम्बर 2024 ◘ पृष्ठ-8 ◘ मूल्य- 2.50 रुपया • रायपुर • बिलासपुर • जगदलपुर से प्रकाशित RNI रजिस्ट्रेशन नं. 68139/98

राज्य अलंकरण की हुई घोषणा

नारायणपुर के बुटलू राम माथरा को शहीद वीर नारायण सिंह स्मृति सम्मान

रायपुर, 5 नवंबर (हाईवे चैनल)। राजधानी नवा रायपुर में राज्योत्सव के अवसर पर राज्य अलंकरण समारोह का आयोजन किया जाएगा। डिप्टी सीएम अरुण साव ने महंत घासीदास संग्रहालय परिसर में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस विशेष सम्मान समारोह की जानकारी साझा की। उन्होंने बताया कि राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान देने वाले व्यक्तियों को यह अलंकरण सम्मान उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ द्वारा प्रदान किया जाएगा।

डिप्टी सीएम ने बताया कि राज्योत्सव के अंतिम दिन, यानी कल, यह विशेष कार्यक्रम होगा जिसमें समाज, शिक्षा, कला, संस्कृति, खेल, और विज्ञान समेत विभिन्न क्षेत्रों में योगदान देने वाले विभूतियों को सम्मानित किया जाएगा। डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा कि छत्तीसगढ़ ने हर क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है। साय सरकार बनने के बाद प्रदेश ने एक बार फिर संकल्प लिया है कि हमने बनाया और हम ही संवारेंगे। राज्योत्सव समारोह के समापन पर 36 अलंकरण उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के हाथों दिए जाएंगे। इनमें 16 अलग-अलग विभागों से जुड़े राज्य अलंकरण शामिल हैं।

शहीद वीर नारायण सिंह स्मृति सम्मान बुटलू राम माथरा, यति यतनलाल सम्मान मनोहर गौशाला, खैरागढ़, गुण्डाधूर सम्मान छोटी मेहरा, मिनीमाता सम्मान सतनामी महिला जागृति समिति, गुरु घासीदास सम्मान राजेंद्र गिलहरे, ठाकुर प्यारेलाल सम्मान शशिकांत द्विवेदी, चंदूलाल चंद्राकर स्मृति पुरस्कार प्रिंट मीडिया भोला राम सिन्हा, चंदूलाल चंद्राकर स्मृति पुरस्कार इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मोहन तिवारी, पंडित सुंदरलाल शर्मा सम्मान डॉ. सत्यभामा आडिल, चक्रधर सम्मान सुधाकर रामभाऊ शेवलीकर, मधुकर खेर स्मृति पत्रकारिता पुरस्कार प्रिंट अंग्रेजी मुकेश एस सिंह, धन्वंतरि सम्मान, स्वास्थ्य विभाग, मनोहर लाल लहेजा, बिलासा देवी केवर्त मत्स्य विभाग पुरस्कार विनोद दास, पंडित लखनलाल मिश्र सम्मान, अपराध अनुसंधान, रामनरियेश यादव, खुमान साव सम्मान, छग लोक संगीत, दुष्यन्त कुमार हरमुख, लक्ष्मण मस्तुरिया सम्मान, छग लोकगीत, निर्मला ठाकुर, किशोर साहू राष्ट्रीय अलंकरण, छग सिनेमा सतीश जैन, पंडित माधव राव सप्रे राष्ट्रीय रचनात्मक सम्मान अतुल जैन आदि शामिल हैं।

कनाडा : हिंदू मंदिर के पास खालिस्तानी प्रदर्शन में भाग लेने वाला पुलिस अधिकारी निलंबित

नई दिल्ली, 5 नवम्बर (न्यूज चैनल)। कनाडा के ब्रैम्पटन में हिंदू सभा मंदिर के पास खालिस्तान समर्थक विरोध प्रदर्शन में भाग लेने पर एक पुलिस अधिकारी को निलंबित कर दिया गया है। मीडिया में ऐसी खबर आयी है। रविवार को हाथों में खालिस्तानी झंडे लिए प्रदर्शनकारी इस हिंदू मंदिर में मौजूद लोगों से भिड़ गए थे तथा उन्होंने मंदिर अधिकारियों एवं भारतीय वाणिज्य दूतावास द्वारा मिलकर आयोजित किये गये कार्यक्रम में खलल डाला था। मीडिया मामलों के अधिकारी रिचर्ड चिन ने 'सीबीसी न्यूज़' को भेजे एक ई-मेल में कहा कि पुलिस 'सोशल मीडिया पर आए उस वीडियो से अवगत है जिसमें कनाडा पुलिस का एक अधिकारी प्रदर्शन में शामिल दिखता है।

वैसे यह पुलिस अधिकारी उस चक्र ड्यूटी पर नहीं था।% उन्होंने कहा कि इस अधिकारी को निलंबित कर दिया गया है। अधिकारी ने कहा, ''हम वीडियो में नजर आ रही परिस्थितियों की समग्रता से जांच कर रहे हैं और जब तक यह जांच पूरी नहीं हो जाती, हम अधिक जानकारी देने में असमर्थ हैं।%% भारत ने सोमवार को मंदिर पर हमले की निंदा की।

सरकारी कर्मचारियों के परिवार को बड़ी राहत

अब बेटी का नाम भी शामिल करना अनिवार्य

नई दिल्ली, 5 नवम्बर (न्यूज चैनल)। सरकारी कर्मचारियों और उनके परिवारों के लिए पेंशन से जुड़े नए नियम जारी किए गए हैं। पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि अब परिवार पेंशन के पात्र सदस्यों की सूची से बेटी का नाम नहीं हटाया जा सकेगा। इसके अलावा, एक्स्ट्राऑर्डिनरी पेंशन के तहत मिलने वाले सभी रिटायरमेंट बेनिफिट को शीघ्र जारी करने के निर्देश दिए गए हैं।

पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने दिया निर्देश

पेंशन में बेटी का नाम न शामिल करने के कई मामले सामने आते रहे हैं। इसे रोकने के लिए विभाग ने आदेश दिया है कि सभी सरकारी कर्मचारियों को अपने पेंशन फॉर्मेट में बेटी का नाम अनिवार्य रूप से शामिल करना होगा। केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 2021 के तहत, सौतेली और गोद ली गई बेटियों के साथ-साथ अविवाहित, विवाहित और विधवा बेटियों को भी परिवार के सदस्य के रूप में मान्यता दी गई है, इसलिए सभी का नाम पेंशन रिकॉर्ड में जोड़ा जाना चाहिए। नए नियमों के तहत, पेंशन पर पहला हक विकलांग बच्चे का होगा। अगर परिवार में कोई बच्चा शारीरिक या मानसिक विकलांगता से पीड़ित है, तो उसे प्राथमिकता के आधार पर पेंशन दी जाएगी। इसके अलावा, सामान्य स्थिति में बेटी को तब तक फैमिली पेंशन मिल सकती है जब तक वह शादी नहीं कर लेती या आर्थिक रूप से सक्षम नहीं हो जाती। यदि बेटियां 25 साल से अधिक उम्र की अविवाहित, तलाकशुदा, या विधवा हैं, तो उन्हें पारिवारिक पेंशन का लाभ मिल सकता है।

इस शर्त के तहत, परिवार के अन्य सभी बच्चे 25 साल से अधिक उम्र के होने चाहिए और उनके पास कोई आय स्रोत होना चाहिए।

लोहारीडीह कांड की होगी एसआईटी जांच एडिशनल एसपी पटेल करेंगे नेतृत्व

कवर्धा, 5 नवंबर (हाईवे चैनल)। कवर्धा जिले के लोहारीडीह कांड को लेकर राज्य सरकार ने एसआईटी जांच के लिए टीम का गठन कर दिया है। एडिशनल एसपी पंकज पटेल एसआईटी का नेतृत्व करेंगे। लोहारीडीह में हुए हत्याकांड की गहन जांच के लिए राज्य सरकार ने (विशेष जांच टीम बन दी है। एडिशनल एसपी पंकज पटेल के नेतृत्व में सात सदस्यीय टीम इस मामले की बारीकी से जांच करेगी। इस टीम के गठन के साथ ही मामले की न्यायिक जांच भी जारी है, जिसकी रिपोर्ट 20 नवंबर तक प्रस्तुत की जाएगी।

आपको बता दें कि उधर इस मामले में लोहारीडीह के ग्रामीणों ने राजनांदगांव रेंज के आईजी दीपक झा से मुलाकात कर कई लोगों के निर्दोष होने का दावा किया है। ग्रामीणों के अनुसार, हत्याकांड में 167 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी, जिनमें से 69 को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। इनमें तीन नाबालिग भी शामिल हैं। जबकि एक आरोपी प्रशांत साहू की जेल में मौत हो चुकी है। ग्रामीणों ने कुछ गिरफ्तार लोगों के निर्दोष होने की बात कही है।

हर निजी संपत्ति पर कब्जा नहीं कर सकती सरकार : सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली, 5 नवम्बर (न्यूज चैनल)। सुप्रीम कोर्ट ने निजी संपत्ति विवाद में बड़ा फैसला सुनाया है। इस मामले में भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली नौ न्यायाधीशों वाली पीठ ने फैसला सुनाते हुए कहा कि किसी व्यक्ति के स्वामित्व वाले प्रत्येक निजी संपत्ति संसाधन को संविधान के अनुच्छेद 39 (बी) के तहत भौतिक संसाधन नहीं कहा जा सकता है। नौ जजों की पीठ में जस्टिस हृषिकेश रॉय, बीवी नागरत्ना, जेबी पारदीवाला, सुधांशु धूलिया, मनोज मिश्रा, राजेश बिंदल, सतीश चंद्र शर्मा और ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह भी शामिल थे। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि तीन जजमेंट हैं, मेरा और 6 जजों का। जस्टिस नागरत्ना का आंशिक सहमति वाला और जस्टिस धूलिया का असहमति वाला।

9 जजों की संविधान पीठ का ऐतिहासिक फैसला

पीठ द्वारा 1 मई को अपना फैसला सुरक्षित रखने के बाद आज सुनवाई हुई। पिछली सुनवाई में शीर्ष अदालत ने टिप्पणी करते हुए कहा था कि किसी व्यक्ति के प्रत्येक निजी संसाधन को समुदाय के भौतिक संसाधन के हिस्से के रूप में रखना दूर की कौड़ी होगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह उन निवेशकों को भी डरा देगा जो उन्हें मिलने वाली सुरक्षा के स्तर से सावधान होंगे। यह टिप्पणी तब आई जब वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल शंकरनारायणन ने कहा कि विभिन्न संविधान पीठों के 16 फैसलों में निजी संपत्ति और निजी संसाधनों को शामिल करने के लिए भौतिक संसाधनों की लगातार व्याख्या की गई है। शीर्ष अदालत ने इससे संबंधित एक संदर्भ पर सुनवाई की।

यूपी मदरसा बोर्ड एक्ट संवैधानिक सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को किया खारिज

यूपी में संचालित 16000 से अधिक मदरसों में पढ़ने वाले 17 लाख छात्रों के भविष्य का फैसला सुप्रीम कोर्ट ने तय कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट उत्तर प्रदेश मदरसा बोर्ड एक्ट 2004 संवैधानिक करार दिया है।

आपको बता दें कि मार्च 22 को हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने मदरसा बोर्ड एक्ट को असंवैधानिक करार दे दिया था। इसके साथ ही आदेश दे दिया था कि मदरसे में पढ़ने वाले सभी बच्चों को साधारण स्कूलों में नामांकन दाखिल कराया जाए। लेकिन इस आदेश के खिलाफ मदरसा संचालकों की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई। 5 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और मनोज मिश्रा की बेंच ने बाद में विस्तार से मामले पर सुनवाई की और 22 अक्टूबर को फैसला सुरक्षित रखा।

ब्रेकिंग न्यूज

केंद्रीय मंत्री एच. डी. कुमारस्वामी पर पुलिस अधिकारी को धमकाने का मामला दर्ज

नई दिल्ली, 5 नवम्बर (न्यूज चैनल)। केंद्रीय मंत्री एच. डी. कुमारस्वामी के खिलाफ खनन के एक मामले की जांच कर रहे वरिष्ठ पुलिस अधिकारी को धमकी देने के आरोप में केंद्रीय मंत्री के विरुद्ध मामला दर्ज किया गया है। पुलिस महानिरीक्षक एम. चंद्रशेखर की शिकायत के आधार पर सोमवार को मामला दर्ज किया गया। शिकायत में आरोप है कि कुमारस्वामी ने एक सरकारी कर्मचारी को उसके कर्तव्यों का निर्वहन करने से रोकने के लिए उसे धमकाया। शिकायतकर्ता ने कहा कि अधिकारी खनन के एक मामले की जांच कर रहे विशेष जांच दल का नेतृत्व कर रहे थे, जिसमें कुमारस्वामी आरोपी हैं। कुमारस्वामी के खिलाफ जांच उन आरोपों से संबंधित है। जिसमें उन्होंने 2006 से 2008 तक कर्नाटक के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान कानून का उल्लंघन करते हुए बेल्लारी जिले में श्री साई वेंकटेश्वर मिनरल्स (एसएसवीएम) को 550 एकड़ का खनन पट्टा अवैध रूप से स्वीकृत किया था। चंद्रशेखर ने संजय नगर थाने में दर्ज अपनी शिकायत में कहा, ''एसआईटी ने जांच रिपोर्ट तैयार करने और आरोपी (कुमारस्वामी) के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए पर्याप्त सबूत और सामग्री मिलने के बाद 21.11.2023 को कर्नाटक के महामहिम राज्यपाल को पत्र लिखकर आरोपी के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी देने का अनुरोध किया था।

माइकल जैक्शन को सुपरस्टार बनाने वाले क्विन्सी जोन्स नहीं रहे

नई दिल्ली, 5 नवम्बर (न्यूज चैनल)। माइकल जैक्शन को सुपरस्टार बनाने वाले दिग्गज क्विन्सी जोन्स का निधन हो गया है। उन्होंने 91 साल की उम्र में अंतिम सांस ली है। क्विन्सी जोन्स की मौत से हॉलीवुड म्यूजिक इंडस्ट्री को तगड़ा झटका लगा है। माइकल और जोन्स की दोस्ती की मिसाल दी जाती थी। जोन्स ने जैक्सन के साथ मिलकर कई हिट एल्बम्स बनाए, जिनमें थ्रीलर जैसे एल्बम शामिल हैं, जो आज भी दुनिया भर में पसंद किए जाते हैं। जोन्स के करीबी मित्र अर्नोल्ड रॉबिन्सन ने उनके निधन की पुष्टि करते हुए कहा कि क्रिंसी जोन्स का निधन रविवार रात को हुआ, जब वह अपने घर में थे।

28 ग्रैमी अवॉर्ड्स से सम्मानित किया गया

क्विन्सी जोन्स के परिवार ने भी उनके निधन के बाद एक बयान जारी कर कहा- आज रात भारी लेकिन टूटा हुआ दिल लेकर हमें अपने पिता और भाई क्विंसी जोन्स के निधन की खबर साझा करनी पड़ी। यह हमारे परिवार के लिए एक अनकही और अपूरणीय क्षति है। हालांकि यह हमारे लिए बहुत दुखद है, हम उनके महान जीवन का जश्न मनाते हैं और जानते हैं कि उनका जैसा कोई दूसरा कभी नहीं होगा।

क्वीन्सी जोन्स को कुल 28 ग्रैमी अवॉर्ड्स से सम्मानित किया गया, जो म्यूजिक इंडस्ट्री में एक रिकॉर्ड है। यह उपलब्धि बताती है कि उनके संगीत और योगदान को किस तरह से सराहा गया। जहाँ एक कलाकार के लिए अपने पूरे करियर में एक या दो ग्रैमी अवॉर्ड प्राप्त करना बड़ी बात होती है, वहीं जोन्स ने इस शानदार उपलब्धि को 28 बार हासिल किया। उनका संगीत ना केवल श्रोताओं के दिलों में बसा बल्कि उनकी रचनाएँ आज भी संगीत प्रेमियों के बीच बेहद लोकप्रिय हैं।

अपने संसदीय क्षेत्र रायबरेली पहुंचे राहुल गांधी, विभिन्न कार्यक्रमों में होंगे शामिल

नई दिल्ली, 5 नवम्बर (न्यूज चैनल)। लोकसभा में विपक्ष के नेता एवं कांग्रेस सांसद राहुल गांधी मंगलवार को यानी आज (5 नवंबर) अपने संसदीय निर्वाचन क्षेत्र रायबरेली के एक दिवसीय दौरे पर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने नगर निगम द्वारा कराए गए सौंदर्यीकरण कार्य का उद्घाटन किया। राहुल चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डे पर उतरे और सड़क मार्ग से अपने निर्वाचन क्षेत्र रायबरेली के लिए रवाना हो गए। अपने इस दौरे पर वह जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति (दिशा) की बैठक में भाग लेंगे। साथ ही कई अन्य कार्यक्रमों में भी हिस्सा लेंगे।

मिली जानकारी के मुताबिक, रायबरेली पहुंचकर राहुल ने नगर निगम द्वारा डिग्री कॉलेज चौराहे पर किए गए सौंदर्यीकरण कार्य का उद्घाटन किया। राहुल की मां सोनिया गांधी लगातार 5 बार रायबरेली से सांसद रह चुकी हैं। इस बार उनके लोकसभा चुनाव नही लड़ने के फैसले के बाद राहुल इस सीट से चुनाव मैदान में उतरे और बड़े अंतर से जीत हासिल की। अमेठी और वायनाड (केरल) से सांसद रह चुके राहुल का रायबरेली से सांसद के रूप में यह पहला कार्यकाल है। हालांकि अपनी मां के लंबे समय से प्रतिनिधित्व के कारण वह पिछले कुछ वर्षों में अक्सर इस क्षेत्र का दौरा करते रहे हैं।

एसबीआई ग्राहक सेवा केन्द्र को लूटने आए आरोपियों ने बुजुर्ग महिला को मारी गोली, मौत

जशपुर, 5 नवंबर (हाईवे चैनल)। राजधानी रायपुर में गोलीकांड के बाद जशपुर से भी गोलीबारी की एक और घटना सामने आई है। जशपुर के कांसाबेल थाना क्षेत्र में दो बदमाशों ने लूट की नीयत से बुजुर्ग महिला की गोली मारकर हत्या कर दी। इतना ही नहीं बुजुर्ग के नाती को भी बेदम पीटा है। आरोपियों ने घटना को दिनदहाड़े अंजाम दिया है।

जानकारी के मुताबिक, घटना कांसाबेल थाना के ग्राम पंचायत बटाईकेला गांव की घटना है। अब से कुछ देर पहले दो बदमाश लूट की नियत से ग्राहक सेवा केंद्र एसबीआई बैंक संचालक की दुकान में पहुंचे। इस दौरान दोनों आरोपी दुकान संचालक संजू से लूट करने लगे। लूट का विरोध करने पर दोनों बदमाशों ने दुकानदार युवक को बेदम पीटा। नाती को मार खाता देख बुजुर्ग दादी बीच-बचाव के लिए पहुंची तो बदमाशों ने उस पर दनादन गोली चला दी। इस घटना में 65 वर्षीय बुजुर्ग महिला की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद दोनों आरोपी फरार है। घायल युवक को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फिलहाल घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची है। दिनदहाड़े गोलीकांड की घटना से इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। आरोपी पुलिस की पकड़ से बाहर है,

सीजेआई चंद्रचूड़ ने रिटारटमेंट से पहले कई सुलगते सवालों के दिए जोरदार जवाब

नई दिल्ली, 5 नवम्बर (न्यूज चैनल)। प्रधान न्यायाधीश (सीजेआई) डी.वाई. चंद्रचूड़ ने कहा है कि गणपति पूजा पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के उनके आधिकारिक आवास पर आने में कुछ भी गलत नहीं था और ऐसे मुद्दों पर राजनीतिक हल्कों में परिपक्वता की भावना की जरूरत है।

हम आपको याद दिला दें कि प्रधानमंत्री के प्रधान न्यायाधीश के आवास पर जाने के बाद कांग्रेस के नेतृत्व में विपक्षी दलों और वकीलों के एक वर्ग ने इसके औचित्य और न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच शक्तियों के पृथक्करण को लेकर चिंता जताई थी। दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने आलोचनाओं को दरकिनार करते हुए कहा था कि ''यह देश की संस्कृति का हिस्सा है।''

सीजेआई चंद्रचूड़ ने 'इंडियन एक्सप्रेस' द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में कहा कि इस बात का सम्मान किया जाना चाहिए कि न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच संवाद मजबूत अंतर-संस्थागत तंत्र के तहत होता है और दोनों की शक्तियों के पृथक्करण का मतलब यह नहीं है कि वे एक-दूसरे से मिलेंगे नहीं। उन्होंने कहा, शक्तियों के पृथक्करण की अवधारणा का यह अर्थ नहीं है कि न्यायपालिका और कार्यपालिका इस भावना में एक-दूसरे से अलग हैं कि वे मिलेंगे नहीं या तर्कसंगत संवाद नहीं करेंगे। राज्यों में, मुख्य न्यायाधीश और उच्च न्यायालय की प्रशासनिक समिति का मुख्यमंत्री से मिलने और मुख्यमंत्री के मुख्य न्यायाधीश से उनके आवास पर मिलने का एक प्रोटोकॉल है। इनमें से अधिकांश बैठकों में बजट, बुनियादी ढांचे, प्रौद्योगिकी आदि जैसे बुनियादी मुद्दों पर चर्चा की जाती है।

बिरादरी की बात

चूहा- सुनती हो, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सरकार हर निजी संपत्ति को अधिग्रहित नहीं कर सकती।
चुहिया- हां जी, लेकिन बुलडोजर तो चला सकती है न...!